न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ (झुन्झुनू)

पीठासीन अधिकारी :: मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 155/2017

शीशपाल पुत्र चुनाराम जाति मीणा निवासी सांगासी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
—वादी

बनाम

1. महेश
2. विमलेश
3. मुकेश
4. धर्मेन्द्र पुत्रान जयनारायण
5. गुलाबीदेवी पत्नी स्व0 जयनारायण
6. रामचन्द्र पुत्र चुनाराम
7. द्रोपतीदेवी पत्नी स्व0 भगवानाराम
8. मनसिंह
9. श्रीराम पुत्रान भगवानाराम
10. सावित्री पुत्री भगवाना जाति मीणा निवासीगण सांगासी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

—प्रतिवादीगण

वाद :— घोषणार्थ एवं दुरूस्ती रिकार्ड

वकील वादी — श्री सुरेश कुमार रीगड

वकील प्रति0 — —

निर्णय

निर्णय दिनांक 28.08.2019

वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि जमीन ख.न. 274 रकबा 0.73 है0 वाके ग्राम माण्डासी की सरहद में स्थित है जिसमें 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार वादी शिशपाल है तथा 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार स्व0 जयनारायण के वारिसान प्रतिवादी नं. 1 लगायत 5 हैं। इस जमीन में वादी का 1/2 हिस्सा एवं वादके सगे भाई जयनारायण का 1/2 हिस्सा रहा है। यह जमीन वादी व प्रतिवादीगण की पैत्रिक जमीन है जिसके राजस्व रिकार्ड में वदी और प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 के पिता जयनारायण के 2 भाई ओर जो रामचन्द्र व भगवानाराम है उनका नाम भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है परन्तु जमीन ख.न. 274 मे वादी और प्रतिवादी नं. 1 लगायत 5 का ही हक हकूक है इस जमीन पर वादी और प्रतिवादी नं. 1 लगायत 5 का आधे आधे हिससे की खसरा नम्बर 274 की मजमीन रिकार्ड में दर्ज की जावे। इसके लिये यह दावा पेश किया जाना आवश्यक हुआ। वादी और प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 के पिता जयनारायण के सगे दो भाई रामचन्द्र और भगवाना हैं जिनके हक में दूसरी जमीन आई है। उसके खातेदार और काबिज रामचन्द्र और भगवानाराम ही हैं। इसलिये राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जाकर ख.न. 274 की जमीन 1/2 की जमीन जयनारायण के वारिसान प्रतिवादी नं. 1 लगायत 5 के नाम घोषणा करके दर्ज की जावे एवं वादी के भाई भगवाना तथा रामचन्द्र का नाम इस जमीन ख.न. 274 के रिकार्ड से हटाया जावे। भगवाना के वारिसान प्रतिवादी नं. 7 लगायत 10 हैं।

वादी और प्रतिवादीगण में जमीन ख.न. 274 का लेकर कोई विवाद नही है परन्तु राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नं. 6 लगायत 10 का नाम गलत आने के कारण रिकार्ड को दुरूस्त करवानेतु यह घोषणा का दावा पेश किया जाना आवश्यक हुआ।

अतः वाद वादी पेश कर निवेदन है कि दावा डिक्री किया जावे तथा घोषणा यह की जावे कि वादी जमीन ख.न. 274 रकबा 0.73 है0 ग्राम माण्डासी के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है तथा शेष 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार प्रतिवादी नं. 1 लगायत 5 है इसी प्रकार घोषणा के मुताबिक

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

जस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाया जावे तथा प्रतिवादी नं. 6 लगायत 10 का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जावे।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा शहादत वादी ली जाकर बहस वकील वादी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी ग्राम माण्डासी संवत 2066 से 2069 के अनुसार भूमि ख.न. 274 रकबा 0.73 है0 की खातेदारी भगवाना शिशपाल रामचन्द्र पि0 चुनिया हि0 3/4 महेश बिमलेश सुरेश पिता जयनारायण गुलाबीदेवी पत्नी स्व0 जयनारायण हि0 1/4 जाति मीणा सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जिसके आगे नोट अंकित किया गया है कि नामा0सं0 475 नि.दि. 21.08.13 के अनुसार विरासत भगवाना पि0 चुनिया की मृत्यु होने पर द्रोपतीदेवी पत्नी स्व0 भगवाना मानसिंह श्रीराम पुत्रान भगवाना सावित्री पुत्री भगवाना ब.हि. 1/4 जाति मीणा सा.दे. खातेदार स्वीकार दर्ज रिकार्ड है। शहादत वादी, गवाह मोहरसिंह पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी सांगासी, गवाह श्रीराम पुत्र भगवानाराम जाति मीणा निवासी सांगासी की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र में वाद तथ्यों को वर्णित किया गया है। प्रतिवादी नं. 9 जो स्व0 भगवानाराम का पुत्र है जिसने मुताबिक वाद डिक्री करने में सहमति जाहिर की गई है। अतः वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम माण्डासी की भूमि ख.न. 274 रकबा 0.73 है0 का वादी को 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादी नं. 1 लगायत 5 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी नं. 6 लगायत 10 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक घोषित खातेदारी का राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाकर अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ
मुरारी लाल शर्मा (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

वाद :– घोषणार्थ एवं दुरूस्ती रिकार्ड

मुकदमा सं0:–155/2017 **(शिशपाल बनाम महेश आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू मुरारी लाल शर्मा (आर0ए0एस0), उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 28.08.2019 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम माण्डासी की भूमि ख.न. 274 रकबा 0.73 है0 का वादी को 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादी नं. 1 लगायत 5 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी नं. 6 लगायत 10 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक घोषित खातेदारी का राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाकर अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

जिन...........–.................... मुवलिग...........–...........बाबत......–..................खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह......–......................फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.............का अदा करे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 28 माह 08 सन..2019. को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बावत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	09.00	मुतफरिक मिजान	0.00

Scanned by CamScanner